



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18092020-221810
CG-DL-E-18092020-221810

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 462]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 17, 2020/भाद्र 26, 1942

No. 462]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 17, 2020/BHADRA 26, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 सितंबर, 2020

सं. 90 /2020-सीमा शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि. 568(अ).—सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 157 के साथ पठित धारा 46 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड, एतद्वारा, आगम बिल (फॉर्म्स) विनियम, 1976 में आगे और भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, यथा: -1.

- (1) इन विनियमों को आगम बिल (फॉर्म्स) (संशोधन) विनियम, 2020 कहा जाएगा।
(2) ये नियम 21 सितंबर, 2020 से लागू होंगे।
- आगम बिल (फॉर्म्स) विनियम, 1976 में, फॉर्म I, फॉर्म II, और फॉर्म III के लिए, निम्नलिखित फॉर्म्स को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

**“फॉर्म-I
(विनियम 3 देखें)**

घरेलू उपभोग के लिए आगम बिल

लाइसेंस नं.

पोर्ट कोड	एस = सी ए= एयर एल = लैंड	पूर्व आगम मोहर	आयात विभाग की क्र.सं. एवं तिथि	कस्टम्स हाउस एजेंट कोड	आयातकर्ता कोड (आईईसी/ जीएसटीआईएन/पीएन आदि जो लागू हो)	आयातकर्ता का नाम एवं पता																	
जलयान का नाम	आवर्तन सं. दिनांक	लाइन सं.	नौवहन का पोर्ट	उदगम देश एवं कोड	प्रेषण का देश (यदि भिन्न हो) एवं कोड	लदान बिल दिनांक																	
पैकेट	माल	मात्रा	सीमाशुल्क	अतिरिक्त शुल्क				आईजीएसटी															
सं. एवं विवरण	चिन्ह एवं संख्याएं	क्र. सं.	कमशियल यूनिट कोड/ स्टैंडर्ड यूनिट कोड	भार/आयतन/संख्या आदि	विवरण आरआई टीसी नं. (प्रत्येक वर्ग का प्रथम रूप से विवरण दें)	सीमाशुल्क टैरिफ का शीर्ष वरीयता परक छूट अधिसूचना/ छूट अधिसूचना सं. एवं वर्ष	शुल्क कोड की प्रकृति	सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के धारा 14 के तहत निर्धारणीय मूल्य (₹)	दर मूल सहायक (₹)	राशि मूल सहायक (₹)	सीईटी शीर्ष छूट अधिसूचना सं. एवं वर्ष	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 तहत मूल्य (₹)	दर	एसएडी	कुल अतिरिक्त शुल्क	जीएसटी कोड	आईजीएसटी दर	आईजीएसटी से छूट का दावा करने हेतु छूट अधिसूचना	आईजीएसटी राशि (₹)	उपकर की दर पर जीएसटी प्रतिपूर्ति राशि	जीएसटी प्रतिपूर्ति उपकर से छूट का दावा करने हेतु छूट अधिसूचना	जीएसटी प्रतिपूर्ति राशि	कुल शुल्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

सकल भार कुल पैकेटों की संख्या (शब्दों में)..... शुल्क की कुल राशि (शब्दों में)

..... आयात क्लर्क रुपए.....

कुल

(पिन पॉइंट टाइपरायटर के द्वारा)

क्र.सं.	बीजक मूल्य (विदेशी मुद्रा) (एफओबी/सी&एफ/सी&आई /सीआईएफ)	भाड़ा	बीमा	मुद्रा कोड	विनिमय सीमा	लदान/स्थानीय एजेंसी कमीशन	विविध प्रभार	कुल मूल्य (रुपये में)	लदान प्रभार	निर्धारणीय मूल्य (रुपये में)	(घोषणा पर कस्टम ब्रोकर द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे) 1. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि लदान बिल सं.... दिनांक... के तहत आयात किए गए माल के लिए आगम बिल की विषय-वस्तु बीजक सं..... दिनांक एवं इसके साथ उपस्थित अन्य दस्तावेजों के अनुसार है। 2. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मुझे/हमें कोई अन्य दस्तावेज़ या सूचना प्राप्त नहीं हुई है जो उक्त माल की भिन्न कीमत, मूल्य, मात्रा या विवरण दर्शाता हो और यदि इसके बाद किसी भी समय मुझे/हमें आयातकर्ता से कोई दस्तावेज़ प्राप्त होता है जो भिन्न तथ्य स्थिति दर्शाता हो तो यथा स्थिति मैं/हम उसकी जानकारी तुरंत प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क या आयुक्त सीमाशुल्क को देंगे।
1											
2											
3											
4											
5											
	कुल										
	आईटीसी लाइसेंस या सीसीपी नं. एवं दिनांक/पार्ट एवं क्र. सं./ओजीएल नं. छूट नं. एवं लाइसेंस को डेबिट किया गया मूल्य/सीसीपी (अधिकरण पत्र के मामले में, व्यक्ति का नाम जिसको जारी किया गया, सं. एवं दिनांक)					डेबिट पी.डी. खाता सं.	कलेक्शन फ्री नं. एवं दिनांक की मोहर				
ध्यान दें- जहां इस फॉर्म में कस्टम ब्रोकर द्वारा घोषणा की जाती है तो माल के आयातकर्ता द्वारा निर्धारित फॉर्म में आगम बिल सहित घोषणा दी जाएगी											

लाइसेंस(सों) पंजीकृत

लाइसेंस(सों)

.....20.....

लेखापरीक्षा किया हुआ

कस्टम ब्रोकर के हस्ताक्षर

घोषणा

(आयातकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने है)

कस्टम ब्रोकर*
सहित

1. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मैं.के बीजक सं.... दिनांक..... एवं इस बीजक द्वारा आवरित माल से संबन्धित अन्य दस्तावेजों की विषय-वस्तु जो एतद द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं प्रत्येक रूप से सत्य और सही है।

या

कस्टम ब्रोकर *
के बिना

मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि लदान बिल सं.... दिनांक... के तहत आयात किए गए माल के लिए आगम बिल की विषय-वस्तु बीजक सं..... दिनांक एवं इसके साथ उपस्थित अन्य दस्तावेजों के अनुसार है। मैं/हम यह घोषणा भी करता हूँ /करते हैं कि उपर्युक्त बीजक एवं दस्तावेजों की विषय-वस्तु प्रत्येक रूप से सत्य और सही है।

2. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मुझे/हमें कोई अन्य दस्तावेज या सूचना प्राप्त नहीं हुई है और हमें इसकी जानकारी नहीं है जो उक्त माल की भिन्न कीमत, मूल्य (स्थानीय भुगतान, कमीशन या अन्य किसी रूप में), मात्रा या विवरण दर्शाता हो और यदि इसके बाद किसी भी समय मुझे/हमें आयातकर्ता से कोई दस्तावेज प्राप्त होता है जो भिन्न तथ्य स्थिति दर्शाता हो तो यथा स्थिति मैं/हम उसकी जानकारी तुरंत प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क या आयुक्त सीमाशुल्क को देंगे।

3. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आगम बिल द्वारा आवरित माल प्रत्यक्ष क्रय/प्रेषण खाता पर आयात किया गया है।

- 4(क)*. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आयातित माल के निबटान या उपयोग के बारे में किसी तीसरे पक्षकार के विक्रेता के द्वारा किसी भी शर्त या प्रतिबंध को नहीं लगाया गया है। [कृपया देखे- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 3 (2) का परंतुक]

या

- 4(ख)* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आयातित माल के निबटान या उपयोग के बारे में किसी तीसरे पक्षकार के विक्रेता के द्वारा किसी भी शर्त या प्रतिबंध को लगाया गया है जिसका ब्योरा नीचे दिया जगया है [कृपया देखे- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 3 (2) का परंतुक]:

5(क)* मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा भुगतान किया गया या अभी भुगतान किए जाने वाला मूल्य किसी निश्चित अवधि के समाप्ति पर डेबिट नोट/ क्रेडिट नोट के माध्यम से क्रेता के साथ किए जाने वाले किए समायोजन के अधीन नहीं है। (आयात मूल्य समायोजन परांत)

या

5(ख)* मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा भुगतान किया गया या अभी भुगतान किए जाने वाला मूल्य का एक निश्चित अवधि के समाप्ति पर डेबिट नोट/ क्रेडिट नोट के माध्यम से क्रेता के साथ समायोजन किया जाएगा। (आयात मूल्य समायोजन परांत)

[जहां कि शुल्क को किसी विशेष दर या टैरिफ मूल्य पर लगाया जाता है वहाँ ऐसे मामलो में क्रम संख्या 4क और 4ख में कि जाने वाली घोषणा की आवश्यकता नहीं है]

6(क)* मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उक्त इन्वाइस में जो घोषित किया गया है उससे भिन्न आयातित माल के लिए वास्तविक रूप से किए गए भुगतान या अभी किए जाने वाले भुगतान के अलावा ना तो कोई वास्तविक भुगतान किया गया है और ना ही किया जाना है ^
या

6(ख)* मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उक्त इन्वाइस में जो घोषित किया गया है उससे भिन्न आयातित माल के लिए वास्तविक रूप से किए गए भुगतान या अभी किए जाने वाले भुगतान के अलावा निम्नलिखित भुगतान बाकी है ^

[^ कृपया देखे- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007के नियम 10 (1) (क) और (ख)]

क्रम संख्या	व्योरा	राशि या अभिव्यक्ति, इकाई मूल्य के प्रतिशत के रूप में
i	ब्रोकरेज और कमिशन, खरीदे जाने वाले कमिशन को छोड़कर [सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 का नियम 10 (1) (क) (i)]:	
ii	कंटेनर का खर्च [नियम 10 (1) (क) (ii)]:	
iii	पैकिंग खर्च: [नियम 10 (1) (क) (iii)]:	
iv	क्रेता द्वारा सप्लाई किए गए माल और सेवा का खर्च [नियम 10 (1) (ख)]:	

7(क)* मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आयातित माल से संबन्धित रॉयल्टी/ लाइसेन्स फी/ बाद की पुनः बिक्री या माल का उपयोग/ बिक्री की शर्त के रूप में अन्य भुगतान के रूप में ना तो कोई वास्तविक भुगतान किया गया है और ना ही किया जाना है [(कृपया देखे- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007के नियम 10 (1) (ग), (घ) & (ङ)]

या

7(ख)* मैं /हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आयातित माल से संबन्धित रॉयल्टी/ लाइसेन्स फी/ बाद की पुनः बिक्री या माल का उपयोग/ बिक्री की शर्त के रूप में अन्य भुगतान के रूप में या तो कोई वास्तविक भुगतान किया गया है और किया जाना है [(कृपया देखे- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 10 (1) (ग), (घ) & (ङ)]। हम और आगे भी घोषणा करते हैं कि:

(i) हमारे आयात की अभी तक किसी विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा कोई जांच नहीं की गयी है

या

(ii) हमारे आयात की अभी _____ कस्टम्स हाउस में एसवीबी द्वारा जांच की जा रही है

(iii) हमारे आयात की _____ कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच कर दी गयी है। (हमारा एसवीबी फ़ाइल नंबर _____ देखे). हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि _____ कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच पहले की गयी जांच के बाद से इस करार की शर्तों और दशाओं में तथा इन्वाइस के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

या

(iv) हमारे आयात की _____ कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच कर ली गयी है। (हमारा एसवीबी फ़ाइल नंबर _____ देखे). हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि क्रेता के साथ हुए करार की शर्तों और दशाओं में/ इन्वाइस के पैटर्न में _____ से बदलाव किया गया है।

8(क)* मैं/ हम, मेरा/ हमारा सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 2(2) की दृष्टि से इन्वाइस संख्या _____ दिनांक _____ में संदर्भित माल के क्रेता से कोई संबंध नहीं है

या

8(ख)* मैं/ हम, मेरा/ हमारा इन्वाइस संख्या _____ दिनांक _____ में संदर्भित माल के क्रेता से संबन्धित हूँ/ हैं और हमारा संबंध सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 2(2) की दृष्टि से _____ की प्रकृति का है। हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि:

(i) हमारे आयात की अभी तक किसी विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा कोई जांच नहीं की गयी है

या

(ii) हमारे आयात की अभी _____ कस्टम्स हाउस में एसवीबी द्वारा जांच की जा रही है

(iii) हमारे आयात की _____ कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच कर दी गयी है। (हमारा एसवीबी फ़ाइल नंबर _____ देखें)। हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि _____ कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच पहले की गयी जांच के बाद से इस करार की शर्तों और दशाओं में तथा इन्वाइस के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

या

(iv) हमारे आयात की _____ कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच कर ली गयी है। (हमारा एसवीबी फ़ाइल नंबर _____ देखें)। हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि क्रेता के साथ हुए करार की शर्तों और दशाओं में/ इन्वाइस के पैटर्न में _____ से बदलाव किया गया है।

9(क)# मैं /हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि निम्नलिखित ब्योरे उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्या _____ में उल्लिखित माल के संबंध में हुए व्यापार करार के अंतर्गत शुल्क की वरीयतापरक दर से संबन्धित है।

[कृपया देखें- सीमाशुल्क व्यापार समझौतों के तहत मूल नियमों का प्रशासन) नियम, 2020 का नियम 3(1)]

क्रम. संख्या	ब्योरा	विवरण
(i)	संधि/ मुफ्त व्यापार करार	
(ii)	सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन की संदर्भ संख्या, इसके जारी होने की तारीख सहित (सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन में प्रत्येक मद जिस पर शुल्क की वरीयतापरक दर का दावा किया गया है का उल्लेख होना चाहिए)	
(iii)	मूलता उत्पादन के मानदंड [या (क) पूरी तरह पालन किया है या (ख) पूरी तरह पालन नहीं किया गया है]	
	यदि पूरी तरह पालन नहीं किया गया है तो कृपया बताएं कि इस पर सामान्य नियम लागू होता है या यह उत्पाद विशिष्ट नियम (PSR) है	
	उत्पाद विशिष्ट नियम (PSR) को स्पष्ट करें, यदि लागू हो है	
(iv)	कृपया बताएं कि क्या संग्रहण/ संचेयन कि बात लागू होती है (हाँ/ ना)	
(v)	कृपया बताएं कि क्या सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन किसी तीसरे देश द्वारा जारी किया गया है (आगे/ पीछे) –हाँ/ ना	
	यदि हाँ, तो जारी करने वाले प्राधिकारी का देश (जो कि मूलता उत्पादन वाले देश से भिन्न होगा)	

(vi)	माल का परिवहन: (मूलता उत्पादन वाले देश से सीधे/ अन्य देश से होते हुए)	
------	---	--

9(ख)# घोषणा (आयातकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने है)

“मैं, अधो हस्ताक्षर कर्ता, घोषणा करता हूँ कि इस बिल ऑफ एंट्री के क्रम संख्या _____ में उल्लिखित माल अधिसूचना नंबर _____ दिनांक _____ के माध्यम से अधिसूचित (नियमावली का नाम) के अंतर्गत शुल्क कि वरीयतापरक दर हेतु मूलता उत्पादन के माल से संबन्धित सभी अर्हता पूरा करता है। .”

आयातकर्ता के हस्ताक्षर.....

आयातकर्ता का नाम

पदनाम.....

स्टैम्प.....

*जो लागू ना हो उसे काट दे
क्या मूलता उत्पादन पर वरीयतापरक शुल्क वैध है

(कस्टम हाउस के प्रयोग के लिए)

आगम बिल के साथ प्रस्तुत दस्तावेज़	में प्राप्ति की तिथि:
अतिरिक्त दस्तावेजों के आवश्यकता यह जांच ली जाए	
1. बीजक.....	मूल्यनिरूपक ग्रुप केन्द्रीय विनिमय यूनिट
2. पैकिंग सूची.....	ट्रेड रिटर्न आई.ए.डी.
3. बैंक ड्राफ्ट.....	सी.आर.ए.डी.एम.सी.डी. की रजिस्टर
4. बीमा ज्ञापन/पॉलिसी.....	एम.सी.डी. मैनिफेस्ट पोस्टिंग
5. लदान बिल.....	(केवल प्रतिलिपि पर)
6. आयात लाइसेंस/सीमाशुल्क निकासी परमिट.....	सीमाशुल्क प्रभार से पास हुआ
7. उदगम प्रमाण पत्र.....	
8.	संगत अधिकारी

9.

10.

(वास्तविक पदनाम अंकित करें)

फॉर्म-II

(विनियम 3 देखें)

वेयरहाउसिंग के लिए आगम बिल

लाइसेंस नं. .

पोर्ट कोड		एस = सी ए= एयर एल = लैंड	बॉन्ड क्रम संख्या और दिनांक	आयात विभाग की क्र.सं. एवं तिथि		कस्टम्स हाउस एजेंट कोड	आयातकर्ता कोड (आईईसी/ जीएसटीआईएन/पीएन आदि जो लागू हों)		आयातकर्ता का नाम एवं पता														
जलयान का नाम		आवर्तन सं. दिनांक		लाइन सं.	नौवहन का पोर्ट	उदगम देश एवं कोड	प्रेषण का देश (यदि भिन्न हो) एवं कोड	लदान बिल दिनांक															
पैकेट माल		मात्रा		सीमाशुल्क				अतिरिक्त शुल्क				आईजीएसटी											
सं. एवं विवरण	चिन्ह एवं संख्याएँ	क्र. सं.	कमर्शियल यूनिट कोड/ स्टैंडर्ड यूनिट कोड	भार/आयतन/संख्या आदि	विवरण आरआई टीसी नं. (प्रत्येक वर्ग का प्रथम रूप से विवरण दें)	सीमाशुल्क टैरिफ का शीर्ष वरीयता परक छूट अधिसूचना/ छूट अधिसूचना सं. एवं वर्ष	शुल्क कोड की प्रकृति	सीमा शुल्क अधिनियम 1962 के धारा 14 के तहत निर्धारणीय मूल्य (₹)	दर मूल सहायक (₹)	राशि मूल सहायक (₹)	सीईटी शीर्ष छूट अधिसूचना सं. एवं वर्ष	सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की धारा 3 तहत मूल्य (₹)	दर	एसएडी	कुल अतिरिक्त शुल्क	जीएसटी कोड	आईजीएसटी दर	आईजीएसटी से छूट का दावा करने हेतु छूट अधिसूचना	आईजीएसटी राशि (₹)	उपकर की दर पर जीएसटी प्रतिपूर्ति राशि	जीएसटी प्रतिपूर्ति से छूट का दावा करने हेतु छूट अधिसूचना	जीएसटी प्रतिपूर्ति राशि	कुल शुल्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

सकल भार कुल पैकेटों की संख्या (शब्दों में)..... शुल्क की कुल राशि (शब्दों में)

..... आयात क्लर्क रुपए.....

कुल

(पिन पॉइंट टाइपरायटर के द्वारा)

क्र.सं.	बीजक मूल्य (विदेशी मुद्रा) (एफओबी/सी&एफ/सी&आई /सीआईएफ)	भाड़ा	बीमा	मुद्रा कोड	विनिमय सीमा	लदान/स्थानीय एजेंसी कमीशन	विविध प्रभार	कुल मूल्य (रुपये में)	लदान प्रभार	निर्धारणीय मूल्य (रुपये में)	(घोषणा पर कस्टम ब्रोकर द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे) 1. मैं/हम..... वेयरहाउस, जो कि सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अंतर्गत नियुक्त/ लाइसेन्स प्राप्त सार्वजनिक/ निजी वेयरहाउस है में इस आगम बिल मे उल्लिखित माल को जमा करने हेतु अनुमति के लिए आवेदन करता हूँ / करते हैं।
1											
2											
3											
4											
5											2. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि लदान बिल सं.... दिनांक... के तहत आयात किए गए माल के लिए आगम बिल की विषय-वस्तु बीजक सं..... दिनांक एवं इसके साथ उपस्थित अन्य दस्तावेजों के अनुसार है।
	कुल										3. मुझे/ हमे ऐसा कोई अन्य कागजात या सूचना प्राप्त नहीं हुआ/ हुई है जिसमे उक्त माल का अलग कीमत, मूल्य, मात्रा या विवरण दर्शाया गया हो और यदि इसके पश्चात मुझे/ हमे आयातकर्ता से ऐसा कोई कागजात प्राप्त होता है जिसमे अलग तथ्य दिये गए हो, तो मैं/ हम तत्काल प्रधान आयुक्त, सीमाशुल्क या
											टीसी लाइसेन्स या सीसीपी नंबर और दिनांक/ पार्ट और क्रम संख्या/ ओजीएल नंबर छूट नंबर और लाइसेन्स / सीसीपी को डेबिटेड वैल्यू (लेटर ऑफ अथॉरिटी के मामले में, जिसको दिया गया उसका नाम, नंबर और दिनांक)
											डॉक से वास्तविक रूप से हटाये जाने कि प्रक्रिया शुरू होने के _____ दिनों के भीतर वेयरहाउस में जमा किया जाना है
											बॉन्ड नंबर---- के अंतर्गत..... को (दिनांक) रैजिस्टर्ड अधीक्षक बॉन्ड ----- बॉन्ड क्लर्क

आयुक्त, सीमाशुल्क जैसी भी स्थिति हो को इस तथ्य से अवगत कराऊंगा/ कराएंगे।

ध्यान दें- जहां इस फॉर्म में कस्टम ब्रोकर द्वारा घोषणा की जाती है तो माल के आयातकर्ता द्वारा निर्धारित फॉर्म में आगम बिल सहित घोषणा दी जाएगी

लाइसेन्स रैजिस्टर्ड

लाइसेन्स औडिटेड

वेयरहाउस में माल को जमा कराने की तारीख

सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क, बॉन्ड डिपार्टमेंट

निवारक अधिकारी

.....20..... कस्टम ब्रोकर के हस्ताक्षर

घोषणा

(आयातकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं)

कस्टम्स हाउस*
एजेंट सहित

1. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मैं.के बीजक सं.... दिनांक..... एवं इस बीजक द्वारा आवरित माल से संबन्धित अन्य दस्तावेजों की विषय-वस्तु जो एतद द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं प्रत्येक रूप से सत्य और सही है।

या

कस्टम्स हाउस*
एजेंट के बिना

मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि लदान बिल सं.... दिनांक... के तहत आयात किए गए माल के लिए आगम बिल की विषय-वस्तु बीजक सं..... दिनांक एवं इसके साथ उपस्थित अन्य दस्तावेजों के अनुसार है। मैं/हम यह घोषणा भी करता हूँ /करते हैं कि उपर्युक्त बीजक एवं दस्तावेजों की विषय-वस्तु प्रत्येक रूप से सत्य और सही है।

2. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मुझे/हमें कोई अन्य दस्तावेज या सूचना प्राप्त नहीं हुई है और हमें इसकी जानकारी नहीं है जो उक्त माल की भिन्न कीमत, मूल्य (स्थानीय भुगतान, कमीशन या अन्य किसी रूप में), मात्रा या विवरण दर्शाता हो और यदि इसके बाद किसी भी समय मुझे/हमें आयातकर्ता से कोई दस्तावेज प्राप्त होता है जो भिन्न तथ्य स्थिति दर्शाता हो तो यथा स्थिति मैं/हम उसकी जानकारी तुरंत प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क या आयुक्त सीमाशुल्क को दूंगा।

3. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आगम बिल द्वारा आवरित माल प्रत्यक्ष क्रय/प्रेषण खाता पर आयात किया गया है।

4(क)*. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आयातित माल के निबटान या उपयोग के बारे में किसी तीसरे पक्षकार के विक्रेता के द्वारा किसी भी शर्त या प्रतिबंध को नहीं लगाया गया है। [कृपया देखे- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 3 (2) का परंतुक]

या

4(ख)* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आयातित माल के निबटान या उपयोग के बारे में किसी तीसरे पक्षकार के विक्रेता के द्वारा किसी भी शर्त या प्रतिबंध को लगाया गया है जिसका ब्योरा नीचे दिया जगया है [कृपया देखे- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 3 (2) का परंतुक]:

5(क)* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मेरे/ हमारे द्वारा भुगतान किया गया या अभी भुगतान किए जाने वाला मूल्य किसी निश्चित अवधि के समाप्ती समाप्ति पर डेबिट नोट/ क्रेडिट नोट के माध्यम से क्रेता के साथ किए जाने वाले किए समायोजन के अधीन नहीं है। (आयात मूल्य समायोजन परांत)

या

5(ख)* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मेरे/ हमारे द्वारा भुगतान किया गया या अभी भुगतान किए जाने वाला मूल्य का एक निश्चित अवधि के समाप्ती समाप्ति पर डेबिट नोट/ क्रेडिट नोट के माध्यम से क्रेता के साथ समायोजन किया जाएगा। (आयात मूल्य समायोजन परांत)

[जहां कि शुल्क को किसी विशेष दर या टैरिफ मूल्य पर लगाया जाता है वहाँ ऐसे मामलो में क्रम संख्या 4क और 4ख में कि जाने वाली घोषणा की आवश्यकता नहीं है]

6(क)*. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि उक्त इन्वाइस में जो घोषित किया गया है उससे भिन्न आयातित माल के लिए वास्तविक रूप से किए गए भुगतान या अभी किए जाने वाले भुगतान के अलावा ना तो कोई वास्तविक भुगतान किया गया है और ना ही किया जाना है ^

या

6(ख)* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि उक्त इन्वाइस में जो घोषित किया गया है उससे भिन्न आयातित माल के लिए वास्तविक रूप से किए गए भुगतान या अभी किए जाने वाले भुगतान के अलावा निम्नलिखित भुगतान बाकी है ^

[^ कृपया देखे- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 10 (1) (क) और (ख)]

क्रम संख्या	ब्योरा	राशि या अभिव्यक्ति, इकाई मूल्य के प्रतिशत के रूप में
i	ब्रोकरेज और कमिशन, खरीदे जाने वाले कमिशन को छोड़कर [सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 का नियम 10 (1) (क) (i)]:	

	ii	कंटेनर का खर्च [नियम 10 (1) (क) (ii)]:	
	iii	पैकिंग खर्च: [नियम 10 (1) (क) (iii)]:	
	iv	क्रेता द्वारा सप्लाई किए गए माल और सेवा का खर्च [नियम 10 (1) (ख)]:	

7(क)* मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आयातित माल से संबन्धित रॉयल्टी/ लाइसेन्स फी/ बाद की पुनः बिक्री या माल का उपयोग/ बिक्री की शर्त के रूप में अन्य भुगतान के रूप में ना तो कोई वास्तविक भुगतान किया गया है और ना ही किया जाना है [(कृपया देखे- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 10 (1) (ग), (घ) & (ङ)]

या

7(ख)* मैं /हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आयातित माल से संबन्धित रॉयल्टी/ लाइसेन्स फी/ बाद की पुनः बिक्री या माल का उपयोग/ बिक्री की शर्त के रूप में अन्य भुगतान के रूप में या तो कोई वास्तविक भुगतान किया गया है और किया जाना है [(कृपया देखे- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 10 (1) (ग), (घ) & (ङ)] । हम और आगे भी घोषणा करते हैं कि:

(i) हमारे आयात की अभी तक किसी विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा कोई जांच नहीं की गयी है

या

(ii) हमारे आयात की अभी _____ कस्टम्स हाउस में एसवीबी द्वारा जांच की जा रही है

(iii) हमारे आयात की _____ कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच कर दी गयी है। (हमारा एसवीबी फ़ाइल नंबर _____ देखे). हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि _____ कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच पहले की गयी जांच के बाद से इस करार की शर्तों और दशाओं में तथा इन्वाइस के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

या

(iv) हमारे आयात की _____ कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच कर ली गयी है। (हमारा एसवीबी फ़ाइल नंबर _____ देखे). हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि क्रेता के साथ हुए करार की शर्तों और दशाओं में/ इन्वाइस के पैटर्न में _____ से बदलाव किया गया है।

8(क)* मैं/ हम, मेरा/ हमारा सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 2(2) की दृष्टि से इन्वाइस संख्या _____ दिनांक _____ में संदर्भित माल के क्रेता से कोई संबंध नहीं है

या

8(ख)* मैं/ हम, मेरा/ हमारा इन्वाइस संख्या _____ दिनांक _____ में संदर्भित माल के क्रेता से संबन्धित हूँ/ हैं और हमारा संबंध सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 2(2) की दृष्टि से _____ की प्रकृति का है । हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि:

- (i) हमारे आयात की अभी तक किसी विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा कोई जांच नहीं की गयी है
या
- (ii) हमारे आयात की अभी _____ कस्टम्स हाउस में एसवीबी द्वारा जांच की जा रही है
- (iii) हमारे आयात की _____ कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच कर दी गयी है। (हमारा एसवीबी फ़ाइल नंबर _____ देखे)। हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि _____ कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच पहले की गयी जांच के बाद से इस करार की शर्तों और दशाओं में तथा इन्वाइस के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
या
- (iv) हमारे आयात की _____ कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच कर ली गयी है। (हमारा एसवीबी फ़ाइल नंबर _____ देखे)। हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि क्रेता के साथ हुए करार की शर्तों और दशाओं में/ इन्वाइस के पैटर्न में _____ से बदलाव किया गया है।

9(क)# मैं /हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि निम्नलिखित ब्योरे उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्या _____ में उल्लिखित माल के संबंध में हुए व्यापार करार के अंतर्गत शुल्क की वरीयतापरक दर से संबन्धित है।

[कृपया देखे- सीमाशुल्क व्यापार समझौतों के तहत मूल नियमों का प्रशासन) नियम, 2020 का नियम 3(1)]

क्रम. संख्या	ब्योरा	विवरण
(i)	संधि/ मुफ्त व्यापार करार	
(ii)	सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन की संदर्भ संख्या, इसके जारी होने की तारीख सहित (सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन में प्रत्येक मद जिस पर शुल्क की वरीयतापरक दर का दावा किया गया है का उल्लेख होना चाहिए)	
(iii)	मूलता उत्पादन के मानदंड [या (क) पूरी तरह पालन किया है या (ख) पूरी तरह पालन नहीं किया गया है]	
	यदि पूरी तरह पालन नहीं किया गया है तो कृपया बताएं कि इस पर सामान्य नियम लागू होता है या यह उत्पाद विशिष्ट नियम (PSR) है	
	उत्पाद विशिष्ट नियम (PSR) को स्पष्ट करें, यदि लागू हो है	
(iv)	कृपया बताएं कि क्या संग्रहण/ संचेयन कि बात लागू होती है (हाँ/ ना)	
(v)	कृपया बताएं कि क्या सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन किसी तीसरे देश द्वारा जारी किया गया है (आगे/ पीछे) –हाँ/ ना	

	यदि हाँ, तो जारी करने वाले प्राधिकारी का देश (जो कि मूलता उत्पादन वाले देश से भिन्न होगा)	
(vi)	माल का परिवहन: (मूलता उत्पादन वाले देश से सीधे/ अन्य देश से होते हुए)	

9(ख)# घोषणा (आयातकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने है)

“मैं, अधो हस्ताक्षर कर्ता, घोषणा करता हूँ कि इस बिल ऑफ एंट्री के क्रम संख्या _____ में उल्लिखित माल अधिसूचना नंबर _____ दिनांक _____ के माध्यम से अधिसूचित (नियमावली का नाम) के अंतर्गत शुल्क कि वरीयतापरक दर हेतु मूलता उत्पादन के माल से संबन्धित सभी अर्हता पूरा करता है। .”

आयातकर्ता के हस्ताक्षर.....

आयातकर्ता का नाम

पदनाम.....

स्टैम्प.....

*जो लागू ना हो उसे काट दे

क्या मूलता उत्पादन पर वरीयतापरक शुल्क वैध है

(कस्टम हाउस के प्रयोग के लिए)

आगम बिल के साथ प्रस्तुत दस्तावेज़

में प्राप्ति की तिथि:

अतिरिक्त दस्तावेजों के आवश्यकता यह जांच ली जाए

1. बीजक	मूल्यनिरूपक ग्रुप केन्द्रीय विनिमय यूनिट
2. पैकिंग सूची	ट्रेड रिटर्न आई.ए.डी.
3. बैंक ड्राफ्ट	सी.आर.ए.डी.एम.सी.डी. की रजिस्टर
4. बीमा ज्ञापन/पॉलिसी	एम.सी.डी. मैनिफेस्ट पोस्टिंग
5. लदान बिल	(केवल प्रतिलिपि पर)

सकल भार कुल पैकेटों की संख्या (शब्दों में)..... शुल्क की कुल राशि (शब्दों में)
 आयात क्लर्क रुपए..... कुल
 (पिन पॉइंट टाइपरायटर के द्वारा)

क्र.सं.	बीजक मूल्य (विदेशी मुद्रा) (एफओबी/सी&एफ/सी&आई /सीआईएफ)	भाड़ा	बीमा	मुद्रा कोड	विनिमय सीमा	लदान/स्थानीय एजेंसी कमीशन	विविध प्रभार	कुल मूल्य (रुपये में)	लदान प्रभार	निर्धारणीय मूल्य (रुपये में)	वेयरहाउस का नाम और पता, जिसमें उस वेयरहाउस का कोड भी शामिल है जहां माल को जमा किया जाता हो
1											
2											
3											
4											
5											
	कुल										
	वेयरहाउस में जमा की तारीख			वेयरहाउस रजिस्टर में दाखिल पेज नंबर.....के तहत आइटम नंबर		डेबिट पीडी/ अकाउंट नंबर		कलेक्शन की स्टैम्प			आयातकर्ता/ कस्टम्स ब्रोकर के द्वारा की जाने वाली घोषणा 1. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि इस आगम बिल में दिये गए ब्योरे सही है।
	वेयरहाउस अधिकारी को दिखाने की तारीख			वेयरहाउस अधिकारी		वेयरहाउस से माल को निकालने की तारीख					2. मैं/हम सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के अधीन रहते हुए कस्टम्स बोर्डेड हाउस से माल को छुड़ाने के लिए अनुमति हेतु आवेदन करता हूँ/ करते हैं।

घोषणा

(आयातकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने हैं)

कस्टम्स हाउस* एजेंट सहित 1. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मैं/हमके बीजक सं.... दिनांक..... एवं इस बीजक द्वारा आवरित माल से संबन्धित अन्य दस्तावेजों की विषय-वस्तु जो एतद्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं प्रत्येक रूप से सत्य और सही है।

या

कस्टम्स हाउस* एजेंट के बिना मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि लदान बिल सं.... दिनांक... के तहत आयात किए गए माल के लिए आगम बिल की विषय-वस्तु बीजक सं..... दिनांक एवं इसके साथ उपस्थित अन्य दस्तावेजों के अनुसार है। मैं/हम यह घोषणा भी करता हूँ /करते हैं कि उपर्युक्त बीजक एवं दस्तावेजों की विषय-वस्तु प्रत्येक रूप से सत्य और सही है।

2. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मुझे/हमें कोई अन्य दस्तावेज या सूचना प्राप्त नहीं हुई है और हमें इसकी जानकारी नहीं है जो उक्त माल की भिन्न कीमत, मूल्य (स्थानीय भुगतान, कमीशन या अन्य किसी रूप में), मात्रा या विवरण दर्शाता हो और यदि इसके बाद किसी भी समय मुझे/हमें आयातकर्ता से कोई दस्तावेज प्राप्त होता है जो भिन्न तथ्य स्थिति दर्शाता हो तो यथा स्थिति मैं/हम उसकी जानकारी तुरंत प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क या आयुक्त सीमाशुल्क को देंगे।

3. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आगम बिल द्वारा आवरित माल प्रत्यक्ष क्रय/प्रेषण खाता पर आयात किया गया है।

4(क)* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आयातित माल के निबटान या उपयोग के बारे में किसी तीसरे पक्षकार के विक्रेता के द्वारा किसी भी शर्त या प्रतिबंध को नहीं लगाया गया है। [कृपया देखें- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 3 (2) का परंतुक]

या

4(ख)* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आयातित माल के निबटान या उपयोग के बारे में किसी तीसरे पक्षकार के विक्रेता के द्वारा किसी भी शर्त या प्रतिबंध को लगाया गया है जिसका ब्योरा नीचे दिया जगया है [कृपया देखें- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 3 (2) का परंतुक]:

5(क)* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा भुगतान किया गया या अभी भुगतान किए जाने वाला मूल्य किसी निश्चित अवधि के समाप्ति समाप्ति पर डेबिट नोट/ क्रेडिट नोट के माध्यम से क्रेता के साथ किए जाने वाले किए समायोजन के अधीन नहीं है। (आयात मूल्य समायोजन परांत)

या

5(ख) * मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि मेरे/ हमारे द्वारा भुगतान किया गया या अभी भुगतान किए जाने वाला मूल्य का एक निश्चित अवधि के समाप्ति पर डेबिट नोट/ क्रेडिट नोट के माध्यम से क्रेता के साथ समायोजन किया जाएगा। (आयात मूल्य समायोजन परांत)

[जहां कि शुल्क को किसी विशेष दर या टैरिफ मूल्य पर लगाया जाता है वहाँ ऐसे मामलो में क्रम संख्या 4क और 4ख में कि जाने वाली घोषणा की आवश्यकता नहीं है]

6(क)*. मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि उक्त इन्वाइस में जो घोषित किया गया है उससे भिन्न आयातित माल के लिए वास्तविक रूप से किए गए भुगतान या अभी किए जाने वाले भुगतान के अलावा ना तो कोई वास्तविक भुगतान किया गया है और ना ही किया जाना है ^
या

6(ख)* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि उक्त इन्वाइस में जो घोषित किया गया है उससे भिन्न आयातित माल के लिए वास्तविक रूप से किए गए भुगतान या अभी किए जाने वाले भुगतान के अलावा निम्नलिखित भुगतान बाकी है ^
[^ कृपया देखे- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007के नियम 10 (1) (क) और (ख)]

क्रम संख्या	ब्योरा	राशि या अभिव्यक्ति, इकाई मूल्य के प्रतिशत के रूप में
i	ब्रोकरेज और कमिशन, खरीदे जाने वाले कमिशन को छोड़कर [सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 का नियम 10 (1) (क) (i)]:	
ii	कंटेनर का खर्च [नियम 10 (1) (क) (ii)]:	
iii	पैकिंग खर्च: [नियम 10 (1) (क) (iii)]:	
iv	क्रेता द्वारा सप्लाई किए गए माल और सेवा का खर्च [नियम 10 (1) (ख)]:	

7(क)* मैं/हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आयातित माल से संबन्धित रॉयल्टी/ लाइसेन्स फी/ बाद की पुनः बिक्री या माल का उपयोग/ बिक्री की शर्त के रूप में अन्य भुगतान के रूप में ना तो कोई वास्तविक भुगतान किया गया है और ना ही किया जाना है [(कृपया देखे- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007के नियम 10 (1) (ग), (घ) & (ड)]

या

7(ख)* मैं /हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि आयातित माल से संबन्धित रॉयल्टी/ लाइसेन्स फी/ बाद की पुनः बिक्री या माल का उपयोग/ बिक्री की शर्त के रूप में अन्य भुगतान के रूप में या तो कोई वास्तविक भुगतान किया गया है और किया जाना है [(कृपया देखे- सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 10 (1) (ग), (घ) & (ड)]। हम और आगे भी घोषणा करते हैं कि:
(i) हमारे आयात की अभी तक किसी विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा कोई जांच नहीं की गयी है

या

(ii) हमारे आयात की अभी _____ कस्टम्स हाउस में एसवीबी द्वारा जांच की जा रही है

(iii) हमारे आयात की _____ कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच कर दी गयी है। (हमारा एसवीबी फ़ाइल नंबर _____ देखे). हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि _____ कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच पहले की गयी जांच के बाद से इस करार की शर्तों और दशाओं में तथा इन्वाइस के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

या

(iv) हमारे आयात की _____ कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच कर ली गयी है। (हमारा एसवीबी फ़ाइल नंबर _____ देखे). हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि क्रेता के साथ हुए करार की शर्तों और दशाओं में/ इन्वाइस के पैटर्न में _____ से बदलाव किया गया है।

8(क)* मैं/ हम, मेरा/ हमारा सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 2(2) की दृष्टि से इन्वाइस संख्या _____ दिनांक _____ में संदर्भित माल के क्रेता से कोई संबंध नहीं है

या

8(ख)* मैं/ हम, मेरा/ हमारा इन्वाइस संख्या _____ दिनांक _____ में संदर्भित माल के क्रेता से संबन्धित हूँ/ हैं और हमारा संबंध सीमाशुल्क मूल्यांकन नियमावली, 2007 के नियम 2(2) की दृष्टि से _____ की प्रकृति का है। हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि:

(i) हमारे आयात की अभी तक किसी विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा कोई जांच नहीं की गयी है

या

(ii) हमारे आयात की अभी _____ कस्टम्स हाउस में एसवीबी द्वारा जांच की जा रही है

(iii) हमारे आयात की _____ कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच कर दी गयी है। (हमारा एसवीबी फ़ाइल नंबर _____ देखे). हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि _____ कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच पहले की गयी जांच के बाद से इस करार की शर्तों और दशाओं में तथा इन्वाइस के पैटर्न में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

या

(iv) हमारे आयात की _____ कस्टम्स हाउस में विशेष मूल्यांकन शाखा द्वारा जांच कर ली गयी है। (हमारा एसवीबी फ़ाइल नंबर _____ देखे). हम आगे और भी घोषणा करते हैं कि क्रेता के साथ हुए करार की शर्तों और दशाओं में/ इन्वाइस के पैटर्न में _____ से बदलाव किया गया है।

9(क)# मैं /हम घोषणा करता हूँ /करते हैं कि निम्नलिखित ब्योरे उपर्युक्त सारणी के क्रम संख्या _____ में उल्लिखित माल के संबंध में हुए व्यापार करार के अंतर्गत शुल्क की वरीयतापरक दर से संबन्धित है।

[कृपया देखें- सीमाशुल्क व्यापार समझौतों के तहत मूल नियमों का प्रशासन) नियम, 2020 का नियम 3(1)]

क्रम. संख्या	ब्योरा	विवरण
(i)	संधि/ मुफ्त व्यापार करार	
(ii)	सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन की संदर्भ संख्या, इसके जारी होने की तारीख सहित (सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन में प्रत्येक मद जिस पर शुल्क की वरीयतापरक दर का दावा किया गया है का उल्लेख होना चाहिए)	
(iii)	मूलता उत्पादन के मानदंड [या (क) पूरी तरह पालन किया है या (ख) पूरी तरह पालन नहीं किया गया है]	
	यदि पूरी तरह पालन नहीं किया गया है तो कृपया बताएं कि इस पर सामान्य नियम लागू होता है या यह उत्पाद विशिष्ट नियम (PSR) है	
	उत्पाद विशिष्ट नियम (PSR) को स्पष्ट करें, यदि लागू हो है	
(iv)	कृपया बताएं कि क्या संग्रहण/ संचेयन कि बात लागू होती है (हाँ/ ना)	
(v)	कृपया बताएं कि क्या सर्टिफिकेट ऑफ ऑरिजिन किसी तीसरे देश द्वारा जारी किया गया है (आगे/ पीछे) –हाँ/ ना	
	यदि हाँ, तो जारी करने वाले प्राधिकारी का देश (जो कि मूलता उत्पादन वाले देश से भिन्न होगा)	
(vi)	माल का परिवहन: (मूलता उत्पादन वाले देश से सीधे/ अन्य देश से होते हुए)	

9(ख)# घोषणा (आयातकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किए जाने है)

“मैं, अधो हस्ताक्षर कर्ता, घोषणा करता हूँ कि इस बिल ऑफ एंट्री के क्रम संख्या _____ में उल्लिखित माल अधिसूचना नंबर _____ दिनांक _____ के माध्यम से अधिसूचित (नियमावली का नाम) के अंतर्गत शुल्क कि वरीयतापरक दर हेतु मूलता उत्पादन के माल से संबन्धित सभी अर्हता पूरा करता है।”

आयातकर्ता के हस्ताक्षर.....

आयातकर्ता का नाम

पदनाम.....

स्टैम्प.....

*जो लागू ना हो उसे काट दे

क्या मूलता उत्पादन पर वरीयतापरक शुल्क वैध है

(कस्टम हाउस के प्रयोग के लिए)

आगम बिल के साथ प्रस्तुत दस्तावेज़	में प्राप्ति की तिथि:
अतिरिक्त दस्तावेजों के आवश्यकता यह जांच ली जाए	
1. बीजक.....	बॉन्ड डिपार्टमेंट
2. पैकिंग सूची.....	अपराइजिंग ग्रुप
3. बीमा ज्ञापन/पॉलिसी	वेयरहाउस अधिकारी सेंट्रल एक्स्चेंज यूनिट
4. उदगम प्रमाण पत्र	रेविन्यू पोस्टिंग
5.	स्टेशन दिनांक.....20.. आयातकर्ता के हस्ताक्षर कस्टम ब्रोकर
6.	सी.आर.ए.डी (केवल प्रतिलिपि पर)
7.	एम.सी.डी. की रजिस्टर सीमाशुल्क प्रभार से पास हुआ
.....	एम.सी.डी. मैनिफेस्ट पोस्टिंग
.....	संगत अधिकारी
.....	(वास्तविक पदनाम इंगित करें)

[फा. स. 450/108/2017- सीमाशुल्क IV]
आनंद राधाकृष्णन, उप सचिव (सीमाशुल्क)

टिप्पणी : प्रधान नियमावली को अधिसूचना संख्या 396- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 1 अगस्त, 1976 के तहत प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना संख्या 03/88- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 14 जनवरी, 1998, जिसे सा.का.नि 30 (अ) के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, दिनांक 31 मार्च, 2017, के तहत प्रकाशित, के द्वारा इसका अधिक्रमण कर दिया गया था, और फिर उसके पश्चात अधिसूचना संख्या 77/89- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 27 दिसम्बर, 1988, जिसे सा.का.नि 1067 (अ) दिनांक 27 दिसम्बर, 1989 के द्वारा बहाल कर दिया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 65/2017- सीमाशुल्क (गै.टै.), दिनांक 30 जून, 2017, जिसे सा.का.नि 810 (अ), दिनांक 30 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

						year*# Exempti on Notifica tion No. and year*																		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	

Gross Weight TOTAL NUMER OF PACKAGES (IN WORDS)..... TOTAL AMOUNT OF DUTY (IN WORDS)
 Import Clerk RUPEES..... TOTAL.....
 (By pin-point typewriter)

S. No.	Invoice Value (Foreign Currency) (FOB/C&F/C&I/CIF)	Freight	Insurance	Currency Code	Exchange Rate	Loading/Local Agency Commission	Miscellaneous Charges	Total Value (In Rupees)	Landing Charges	Assessable Value (in Rupees)	(Declaration to be signed by the Custom Broker) 1. I/We declare that the contents of this Bill of Entry for goods imported against Bill of Lading No..... dated Are in accordance with the Invoice No..... dated and other documents presented herewith. 2. I/We declare that I/We have not received any other document or information showing a different price, value, quantity or description of the said goods and that if at any time hereafter I/we receive any documents from the importer showing a different state of facts, I/we will immediately make the same known to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be.
1											
2											
3											
4											
5											
										Total	

			N. B.-Where a declaration in this form is made by the Custom Broker a declaration in the prescribed form shall be furnished by the importers of the goods covered by this Bill of Entry.
I.T. C Licence or C.C.P. No. and date/Part and S. No./O.G.L. No. Exemption No. and value debited to Licence/C.C.P. (In case of Letter of Authority, Name of Person to whom issued,, No. and Date)	Debit P. D. A/c. No.	Stamp of collection Free No. and Date	
Licence(s) Registered	Licence(s) Audited20.....	Signature of the Custom Broker

DECLARATION
(To be signed by an importer)

With Custom* Broker	1.	I/We declare that the contents of invoice(s) No.(s)..... Dated..... of M/s And of other documents relating to the goods covered by the said invoice(s) and presented herewith are true and correct in every aspect.
OR		
Without Custom* Broker		I/We declare that the contents of this Bill of Entry for goods imported against Bill of Lading No..... dated Are in accordance with the invoice No. dated and other documents presented herewith. i/We also declare that the contents of the above mentioned invoice(s) and documents are true and correct in every respect.
	2.	I/We declare that I/we have not received and do not know of any other documents or information showing a different price, value (including local payments, whether as commission or otherwise), quantity or description of the said goods and that if at any time hereafter I/we discover any information showing a different state of facts, I/we will immediately make the same known to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs as the case may be.
	3.	I/We declare that goods covered by the bill of entry have been imported on outright purchase/consignment account.
	4(a)*.	I/We declare that there are no conditions or restrictions imposed by the seller of any third party on the disposition or use of the imported goods [Please see proviso to Rule 3(2)) of the Customs Valuation Rules, 2007]

OR

4(b)* I/We declare that there are conditions or restrictions imposed by the seller of any third party on the disposition or use of the imported goods as per details below [Please see proviso to Rule 3(2)) of the Customs Valuation Rules, 2007]:

5(a)* I/We declare that the price paid or payable by us is NOT subject to settlement with the seller at the end of a defined period by means of debit note / credit note (post – import price adjustment)

OR

5(b) * I/We declare the that price paid or payable by the importer will be settled with the seller at the end of a defined period by means of debit note / credit note (post – import price adjustment).

[The declaration at serial no. 4a and 4b shall not be required in cases where duty is levied at specific rates or on Tariff Value]

6(a)*. I/We declare that there are no other payments actually paid or payable for the imported goods by way of cost and services other than those declared in the invoice^

OR

6(b)* I/We declare that there are the following payments actually paid or payable for the imported goods by way of cost and services other than those declared in the invoice^

[^ please refer to Rule 10 (1) (a) & (b) of the Customs Valuation Rules, 2007]

Sl.	Particulars	Amount or expressed as % of the unit price
i	Brokerage and Commissions, except buying commission [Rule 10 (1) (a) (i) of Customs Valuation Rules, 2007]:	
ii	Cost of containers. [Rule 10 (1) (a) (ii)]:	
iii	Packing cost: [Rule 10 (1) (a) (iii)]:	
iv	Cost of goods and services supplied by the buyer [Rule 10 (1) (b)]:	

7(a)* I/We declare that there are NO payments actually paid or payable for the imported goods by way of Royalty / Licence Fee / subsequent resale or use of goods /other payment as a condition of sale [(Please see Rule 10 (1) (c), (d) & (e) of Customs Valuation Rules, 2007]

OR

7(b)* I/We declare that there are payments actually paid or payable for the imported goods by way of Royalty / Licence Fee / subsequent resale or use of goods /other payment as a condition of sale [(Please see Rule 10 (1) (c), (d) & (e) of Customs Valuation Rules, 2007]. We further declare:

(i) that our imports have NOT been examined by any Special Valuation Branch so far

or

(ii) that our imports are under examination by the SVB at _____ Customs House

(iii) that our imports have been examined by Special Valuation Branch of _____ Customs House. (Our SVB File No. _____ refers). We further declare that the terms & conditions of the agreement or pattern of invoicing has NOT CHANGED since previously examined by the Special Valuation Branch of the Customs House at _____.

or

(iv) that our imports have been examined by Special Valuation Branch of _____ Customs House. (Our SVB File No. _____ refers). We further declare that the terms & conditions of the agreement with the seller / pattern of invoicing has changed with effect from _____

8(a)* I/We am/are NOT related to the seller of the goods covered under invoice no. _____ dated _____, in terms of Rule 2(2) of the Customs Valuation Rules, 2007

OR

8(b)* I/We am/are related to the seller of the goods covered under invoice no. _____ dated _____, and our nature of relationship is _____ in terms of Rule 2(2) of the Customs Valuation Rules, 2007. We further declare as follows:

(i) that our imports have not been examined by any Special Valuation Branch so far

or

(ii) that our imports are under examination by the SVB at _____ Customs House

(iii) that our imports have been examined by Special Valuation Branch of _____ Customs House. (Our SVB File No. _____ refers). We further declare that the terms & conditions of the agreement or pattern of invoicing has not changed since previously examined by the Special Valuation Branch of the Customs House at _____.

or

(iv) that our imports have been examined by Special Valuation Branch of _____ Customs House. (Our SVB File No. _____ refers). We further declare that the terms & conditions of the agreement with the seller / pattern of invoicing has changed with effect from _____

9(a)# I/We declare the following details related to Preferential rate of duty under a trade agreement for the goods at Sl. No.in above table.

[Please refer to Rule 3(1) of the Customs (Administration of Rules of Origin under Trade Agreements) Rules, 2020]

Sr.No.	Particulars	Details
(i)	Treaty/Free Trade Agreement	
(ii)	Certificate of Origin reference number along with date of issuance (Produce certificate of origin covering each item on which preferential rate of duty is claimed)	

(iii)	Originating criteria [either (a) Wholly Obtained or (b) not Wholly Obtained]	
	If not Wholly Obtained state whether General Rule is applicable or Products Specific Rule (PSR)	
	Specify the Products Specific Rule (PSR), if applicable	
(iv)	Indicate if accumulation/cumulation is applied (Yes/No)	
(v)	Indicate if the certificate of origin is issued by a third country (Back to Back) -Yes/No	
	If Yes, then country of Issuing Authority (Which will be different from Country of Origin)	
(vi)	Transport of Goods: (Directly from country of origin/through another country)	

9(b)# Declaration (To be signed by an Importer)

“I, the undersigned, declare that the goods described in Sr. No. _____ of the bill of entry qualify as originating goods for preferential rate of duty under the (name of the Rules) notified vide notification No. _____ dated _____.”

Signature of Importer

Name of the Importer.....

Designation.....

Stamp.....

***Strike out whichever is inapplicable
If Preferential Duty on Origin is availed**

(FOR CUSTOM HOUSE USE)

Documents presented with bill of entry	Date of receipt in:
Check here additional documents required	
1. Invoice.....	Appraising group Central Exchange Unit
2. Packing List.....	Trade return I.A.D.
3. Bank Draft.....	C.R.A.D M.C.D. Key Register
4. Insurance Memo/Policy.....	M.C.D Manifest Posting
5. Bill of Lading.....	(On duplicate Copy only)
6. Import Licence/Custom Clearance Permit.....	Passed out of Customs Charge
7. Certificate of Origin.....	
8.	Proper Officer
9.	
10.	(Actual designation to be indicated)

FORM-II
(See regulation 3)

Bill of Entry For Warehousing

Licence No.

Port Code S = Sea A = Air L = Land		Bond S. No. & Date		Import Dept. S. No. and Date		Customs Broker Code		Importer Code(IEC/ GSTIN/PAN etc as applicable)		[Importer's Name and Address whether Govt. or Private]																
Vessel's Name		Rotation No. Date		Line Number		Port of Shipment		Country of Origin and Code		Country of Consignment (if different) and Code		Bill of Lading and Date														
PACKAGES			QUANTITY		GOODS		CUSTOMS DUTY			ADDITIONAL DUTY					IGST											
No. and Description	Marks and Numbers	Serial No.	Commercial Unit Code	Weight/Vol etc.	Goods Description	Customs Tariff heading	Nature of duty	Assessable Value	RAT E	AMO UNT	C.E.T. Heading	MRP per unit, if any	Amount of abatement, if any	Value for the purpose of Section 3 Customs Tariff Act, 1975		Rate	SA D	Total Additio nal Duty	GST Code	IGS T Rate	Exempti on Notification for claimin g exemption from IGST	IGST amount	GST Compens ation Cess	Exemptio n Notification for claiming exemption from GST Compens ation Cess	GST Compens ation Cess amount	Total Duty
														Col. 9 + 11 Where the provisions of	Where the sub-section											

5

T. C Licence or C.C.P. No. and date/Part and S. No./O.G.L. No. Exemption No. and value debited to Licence/C.C.P. (In case of Letter of Authority, Name of Person to whom issued,, No. and Date

To be warehoused within..... days from the beginning of the operation of actual removal form docks

Bond registered under No. of ...

(Date)
Supdt. Bond-----
Bond Clerk

Total

3. I/We have not received any other document or information showing a different price, value, quantity or description of the said goods and that if at any time hereafter I/we receive any documents from the importer showing a different state of facts, I/we will immediately make the same known to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs, as the case may be.

N. B.-Where a declaration in this form is made by the Custom Broker a declaration in the prescribed form shall be furnished by the importers of the goods covered by this Bill of Entry.

Licence(s) Registered

Licence(s) Audited

Date of Deposit of Goods in the warehouse

Assistant Commissioner of Customs, Bond Department

Preventive Officer

.....20..... Signature of the Custom Broker

DECLARATION

(To be signed by an Importer)

With Custom* Broker	1.	I/We declare that the contents of invoice(s) No.(s)..... Dated..... of M/s And of other documents relating to the goods covered by the said invoice(s) and presented herewith are true and correct in every aspect. OR
Without Custom* Broker	1.	I/We declare that the contents of this Bill of Entry for goods imported against Bill of Lading No..... dated Are in accordance with the invoice No. dated and other documents presented herewith. i/We also declare that the contents of the above mentioned invoice(s) and documents are true and correct in every respect.
	2.	I/We declare that I/we have not received and do not know of any other documents or information showing a different price, value (including local payments, whether as commission or otherwise), quantity or description of the said goods and that if at any time hereafter I/we discover any information showing a different state of facts, I/we will immediately make the same known to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs as the case may be.
	3.	I/We declare that goods covered by the bill of entry have been imported on outright purchase/consignment account.
	4(a)*.	I/We declare that there are no conditions or restrictions imposed by the seller of any third party on the disposition or use of the imported goods [Please see proviso to Rule 3(2)) of the Customs Valuation Rules, 2007] OR
	4(b)*	I/We declare that there are conditions or restrictions imposed by the seller of any third party on the disposition or use of the imported goods as per details below [Please see proviso to Rule 3(2)) of the Customs Valuation Rules, 2007]: _____ _____
	5(a)*	I/We declare that the price paid or payable by us is NOT subject to settlement with the seller at the end of a defined period by means of debit note / credit note (post – import price adjustment) OR
	5(b) *	I/We declare the that price paid or payable by the importer will be settled with the seller at the end of a defined period by means of debit note / credit note (post – import price adjustment).

[The declaration at serial no. 4a and 4b shall not be required in cases where duty is levied at specific rates or on Tariff

Value]

6(a)*. I/We declare that there are no other payments actually paid or payable for the imported goods by way of cost and services other than those declared in the invoice[^]

OR

6(b)* I/We declare that there are the following payments actually paid or payable for the imported goods by way of cost and services other than those declared in the invoice[^]

[[^] please refer to Rule 10 (1) (a) & (b) of the Customs Valuation Rules, 2007]

Sl.	Particulars	Amount or expressed as % of the unit price
i	Brokerage and Commissions, except buying commission [Rule 10 (1) (a) (i) of Customs Valuation Rules, 2007]:	
ii	Cost of containers. [Rule 10 (1) (a) (ii)]:	
iii	Packing cost: [Rule 10 (1) (a) (iii)]:	
iv	Cost of goods and services supplied by the buyer [Rule 10 (1) (b)]:	

7(a)* I/We declare that there are NO payments actually paid or payable for the imported goods by way of Royalty / Licence Fee / subsequent resale or use of goods /other payment as a condition of sale [(Please see Rule 10 (1) (c), (d) & (e) of Customs Valuation Rules, 2007]

OR

7(b)* I/We declare that there are payments actually paid or payable for the imported goods by way of Royalty / Licence Fee / subsequent resale or use of goods /other payment as a condition of sale [(Please see Rule 10 (1) (c), (d) & (e) of Customs Valuation Rules, 2007]. We further declare:

(i) that our imports have NOT been examined by any Special Valuation Branch so far

or

(ii) that our imports are under examination by the SVB at _____ Customs House

(iii) that our imports have been examined by Special Valuation Branch of _____ Customs House. (Our SVB File No. _____ refers). We further declare that the terms & conditions of the agreement or pattern

of invoicing has NOT CHANGED since previously examined by the Special Valuation Branch of the Customs House at _____.

or

(iv) that our imports have been examined by Special Valuation Branch of _____ Customs House. (Our SVB File No. _____ refers). We further declare that the terms & conditions of the agreement with the seller / pattern of invoicing has changed with effect from _____

8(a)* I/We am/are NOT related to the seller of the goods covered under invoice no. _____ dated _____, in terms of Rule 2(2) of the Customs Valuation Rules, 2007

OR

8(b)* I/We am/are related to the seller of the goods covered under invoice no. _____ dated _____, and our nature of relationship is _____ in terms of Rule 2(2) of the Customs Valuation Rules, 2007. We further declare as follows:

(i) that our imports have not been examined by any Special Valuation Branch so far

or

(ii) that our imports are under examination by the SVB at _____ Customs House

(iii) that our imports have been examined by Special Valuation Branch of _____ Customs House. (Our SVB File No. _____ refers). We further declare that the terms & conditions of the agreement or pattern of invoicing has not changed since previously examined by the Special Valuation Branch of the Customs House at _____.

or

(iv) that our imports have been examined by Special Valuation Branch of _____ Customs House. (Our SVB File No. _____ refers). We further declare that the terms & conditions of the agreement with the seller / pattern of invoicing has changed with effect from _____

9(a)# I/We declare the following details related to Preferential rate of duty under a trade agreement for the goods at Sl. No.in above table.

[Please refer to Rule 3(1) of the Customs (Administration of Rules of Origin under Trade Agreements) Rules, 2020]

Sr.No.	Particulars	Details
(i)	Treaty/Free Trade Agreement	
(ii)	Certificate of Origin reference number along with date of issuance (Produce certificate of origin covering each item on which preferential rate of duty is claimed)	
(iii)	Originating criteria [either (a) Wholly Obtained or (b) not Wholly Obtained]	
	If not Wholly Obtained state whether General Rule is applicable or Products Specific Rule (PSR)	
	Specify the Products Specific Rule (PSR), if applicable	
(iv)	Indicate if accumulation/cumulation is applied (Yes/No)	
(v)	Indicate if the certificate of origin is issued by a third country (Back to Back) -Yes/No	
	If Yes, then country of Issuing Authority (Which will be different from Country of Origin)	
(vi)	Transport of Goods: (Directly from country of origin/through another country)	

9(b)# Declaration (To be signed by an Importer)

“I, the undersigned, declare that the goods described in Sr. No. _____ of the bill of entry qualify as originating goods for preferential rate of duty under the (name of the Rules) notified vide notification No. _____ dated _____.”

Signature of Importer

Name of the Importer.....

Designation.....

Stamp.....

***Strike out whichever is inapplicable
If Preferential Duty on Origin is availed**

(FOR CUSTOM HOUSE USE)

Documents presented with bill of entry	Date of receipt in:
Check here additional documents required	
1. Invoice.....	Appraising group Central Exchange Unit
2. Packing List.....	Trade return I.A.D.
3. Bank Draft.....	C.R.A.D M.C.D. Key Register
4. Insurance Memo/Policy.....	M.C.D Manifest Posting
5. Bill of Lading.....	
(On duplicate Copy only)	
6. Import Licence/Custom Clearance Permit.....	Permitted removal to Bonded Warehouse under Customs control Seal Details (OTL Details)
7. Certificate of Origin.....	
8.	Proper Officer
9.	
10.	(Actual designation to be indicated)

”

FORM-III
(See regulation 3)

Bill of Entry For Ex-Bond Clearance

Licence No. _____

Port Code S = Sea A = Air L = Land			Bond S. No. & Date			Import Dept. S. No. and Date			Customs Broker Code			Importer Code (IEC/ GSTIN/PAN etc as applicable)			Importer's Name and Address								
Vessel's Name			Rotation No. Date			Line Number			Port of Shipment			Country of Origin and Code			Country of Consignment (if different) and Code			Bill of Lading Date					
PACKAGES				QUANTITY		GOODS		CUSTOMS DUTY			ADDITIONAL DUTY				IGST								
No. and Description	Marks and Numbers	Serial No.	Commercial Unit Code	Weight/Volume/Number etc.	Description	Customs Tariff heading	Nature of duty code	Assessable Value	RATE Basic	AMOUNT Basic	C.E.T. Heading	Value under Section 3	Rate	SAD	Total Additional Duty	GST Code	IGST Rate	Exemption Notification for claiming	IGST Amount	GST Compensation Rate	Exemption Notification for claiming	GST Compensation Cess Amount	TOTAL DUTY Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)

Gross Weight TOTAL NUMER OF PACKAGES (IN WORDS)..... TOTAL AMOUNT OF DUTY (IN WORDS)

..... Import Clerk

RUPEES.....

TOTAL.....

(By pin-point typewriter)

S. No.	Invoice Value (Foreign Currency) (FOB/C&F/C&I/CIF)	Freight	Insurance	Currency Code	Exchange Rate	Loading/Local Agency Commission	Miscellaneous Charges	Total Value (In Rupees)	Landing Charges	Assessable Value (in Rupees)	Name and address of the warehouse including warehouse code where the goods are kept in deposit
1											
2											
3											
4											
5											
										Total	
	Date of deposit in warehouse	Entered in Warehouse registre.... Vide Page No..... Item No.....		Debit P. D. A/c. No.			Stamp of collection				Declaration to be signed by the importer/Custom Broker 1. I/We declare that the particulars given in this Bill of Entry are true.
	Date of Presentation to Warehouse Officer					Date of Removal of goods from the Warehouse.					2. I/We apply for permission to clear the goods from the Customs Bonded Warehouse subject t the provisions of the Customs Act, 1962.

DECLARATION

(To be signed by an importer)

With Custom* Broker	1. I/We declare that the contents of invoice(s) No.(s)..... Dated..... of M/s And of other documents relating to the goods covered by the said invoice(s) and presented herewith are true and correct in every aspect. OR
Without Custom* Broker	I/We declare that the contents of this Bill of Entry for goods imported against Bill of Lading No..... dated Are in accordance with the invoice No. dated and other documents presented herewith. i/We also declare that the contents of the above mentioned invoice(s) and documents are true and correct in every respect.
	2. I/We declare that I/we have not received and do not know of any other documents or information showing a different price, value (including local payments, whether as commission or otherwise), quantity or description of the said goods and that if at any time hereafter I/we discover any information showing a different state of facts, I/we will immediately make the same known to the Principal Commissioner of Customs or Commissioner of Customs as the case may be.
	3. I/We declare that goods covered by the bill of entry have been imported on outright purchase/consignment account.
	4(a)*. I/We declare that there are no conditions or restrictions imposed by the seller of any third party on the disposition or use of the imported goods [Please see proviso to Rule 3(2)) of the Customs Valuation Rules, 2007] OR
	4(b)* I/We declare that there are conditions or restrictions imposed by the seller of any third party on the disposition or use of the imported goods as per details below [Please see proviso to Rule 3(2)) of the Customs Valuation Rules, 2007]: _____ _____
	5(a)* I/We declare that the price paid or payable by us is NOT subject to settlement with the seller at the end of a defined period by means of debit note / credit note (post – import price adjustment) OR
	5(b) * I/We declare the that price paid or payable by the importer will be settled with the seller at the end of a defined period by means of debit note / credit note (post – import price adjustment).
	[The declaration at serial no. 4a and 4b shall not be required in cases where duty is levied at specific rates or on Tariff Value]

6(a)* I/We declare that there are no other payments actually paid or payable for the imported goods by way of cost and services other than those declared in the invoice^

OR

6(b)* I/We declare that there are the following payments actually paid or payable for the imported goods by way of cost and services other than those declared in the invoice^

[^ please refer to Rule 10 (1) (a) & (b) of the Customs Valuation Rules, 2007]

Sl.	Particulars	Amount or expressed as % of the unit price
i	Brokerage and Commissions, except buying commission [Rule 10 (1) (a) (i) of Customs Valuation Rules, 2007]:	
ii	Cost of containers. [Rule 10 (1) (a) (ii)]:	
iii	Packing cost: [Rule 10 (1) (a) (iii)]:	
iv	Cost of goods and services supplied by the buyer [Rule 10 (1) (b)]:	

7(a)* I/We declare that there are NO payments actually paid or payable for the imported goods by way of Royalty / Licence Fee / subsequent resale or use of goods/other payment as a condition of sale [(Please see Rule 10 (1) (c), (d) & (e) of Customs Valuation Rules, 2007]

OR

7(b)* I/We declare that there are payments actually paid or payable for the imported goods by way of Royalty / Licence Fee / subsequent resale or use of goods/other payment as a condition of sale [(Please see Rule 10 (1) (c), (d) & (e) of Customs Valuation Rules, 2007]. We further declare:

(i) that our imports have NOT been examined by any Special Valuation Branch so far

or

(ii) that our imports are under examination by the SVB at _____ Customs House

(iii) that our imports have been examined by Special Valuation Branch of _____ Customs House. (Our SVB File No. _____ refers). We further declare that the terms & conditions of the agreement or pattern of invoicing has NOT CHANGED since previously examined by the Special Valuation Branch of the Customs

House at _____.
or

(iv) that our imports have been examined by Special Valuation Branch of _____ Customs House. (Our SVB File No. _____ refers). We further declare that the terms & conditions of the agreement with the seller / pattern of invoicing has changed with effect from _____

8(a)* I/We am/are NOT related to the seller of the goods covered under invoice no. _____ dated _____, in terms of Rule 2(2) of the Customs Valuation Rules, 2007

OR

8(b)* I/We am/are related to the seller of the goods covered under invoice no. _____ dated _____, and our nature of relationship is _____ in terms of Rule 2(2) of the Customs Valuation Rules, 2007. We further declare as follows:

(i) that our imports have not been examined by any Special Valuation Branch so far

or

(ii) that our imports are under examination by the SVB at _____ Customs House

(iii) that our imports have been examined by Special Valuation Branch of _____ Customs House. (Our SVB File No. _____ refers). We further declare that the terms & conditions of the agreement or pattern of invoicing has not changed since previously examined by the Special Valuation Branch of the Customs House at _____.

or

(iv) that our imports have been examined by Special Valuation Branch of _____ Customs House. (Our SVB File No. _____ refers). We further declare that the terms & conditions of the agreement with the seller / pattern of invoicing has changed with effect from _____

9(a)# I/We declare the following details related to Preferential rate of duty under a trade agreement for the goods at Sl. No.in above table.

[Please refer to Rule 3(1) of the Customs (Administration of Rules of Origin under Trade Agreements) Rules, 2020]

Sr.No.	Particulars	Details
(i)	Treaty/Free Trade Agreement	
(ii)	Certificate of Origin reference number along with date of issuance (Produce certificate of origin covering each item on which preferential rate of duty is claimed)	
(iii)	Originating criteria [either (a) Wholly Obtained or (b) not Wholly Obtained]	
	If not Wholly Obtained state whether General Rule is applicable or Products Specific Rule (PSR)	
	Specify the Products Specific Rule (PSR), if applicable	
(iv)	Indicate if accumulation/cumulation is applied (Yes/No)	
(v)	Indicate if the certificate of origin is issued by a third country (Back to Back) -Yes/No	
	If Yes, then country of Issuing Authority (Which will be different from Country of Origin)	
(vi)	Transport of Goods: (Directly from country of origin/through another country)	

9(b)# Declaration (To be signed by an Importer)

“I, the undersigned, declare that the goods described in Sr. No. _____ of the bill of entry qualify as originating goods for preferential rate of duty under the (name of the Rules) notified vide notification No. _____ dated _____.”

Signature of Importer

Name of the Importer.....

Designation.....

Stamp.....

***Strike out whichever is inapplicable**
If Preferential Duty on Origin is availed

(FOR CUSTOM HOUSE USE)

Documents presented with bill of entry		Date of receipt in:	
Check here additional documents required			
1.	Invoice.....	Bond Department	
2.	Packing List.....	Appraising group	
3.	Insurance Memo/Policy.....	Warehouse Officer Central Exchange Unit	
4.	Certificate of Origin	Revenue Posting	
5.	Station	
		Date.....20..	
		Signature of Importer	
		Custom Broker	
6.	C.R.A.D	(On duplicate Copy only)
7.	M.C.D.	Key Passed out of Customs
		Register	Charge
	M.C.D.	Manifest
		Posting	
		Proper Officer
		(Actual designation to be indicated)

[F. No. 450/108/2017-Cus IV]

ANANTH RATHAKRISHNAN, Dy. Secy. (Customs)

Note :- The principal regulations were published vide notification number 396-Customs (N.T.) dated the 1st August, 1976, superseded by notification number 03/88-Customs (N.T.) dated 14th January, 1988 published in the Gazette of India vide G.S.R. 30 (E) dated the 14th January, 1988 and then restored by notification number 77/89 dated 27th December, 1988 published in the Gazette of India vide number G.S.R. 1067(E) dated 27th December, 1989 and were last amended vide notification number 65/2017 – Customs(N.T.) , dated the 30th June, 2017 published in the Gazette of India vide number G.S.R. 810(E) dated the 30th June, 2017.